भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1771

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा</u>

1771. श्रीमती वी. सत्यबामाः

श्री पी.आर. सेनथिनाथनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार स्वायत्त संस्थानों/ ट्रस्ट और बीसीसीआई, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई और अन्य ऐसे निकायों जिनके पास बड़ी मात्रा में वित्तीय परिसम्पत्तियां है, का लेखापरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बोर्डों/संस्थानों की सूची क्या है जिनके पास 1000 करोड़ रुपये से अधिक परिसम्पत्तियां है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कानूनों में संशोधन करने का भी है जो इन संस्थानों को सरकारी एजेन्सियों की संवीक्षा और लेखापरीक्षा से बचाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): जी, नहीं। स्वायत्तशासी संस्थानों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित शासी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 या आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई के क्रमश: शासी दो अधिनियमों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी तरह, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जिसके तहत बीसीसीआई पंजीकृत है, में किसी संशोधन का उल्लेख नहीं किया है।

*****